UPUN010010462026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव

उपस्थित– अनिल कुमार वर्मा–प्रथम, एच.जे.एस.

जेओ कोड नं0 यूपी 6552

दाण्डिक अपील संख्या– 09/2026

सुखवीर पुत्र प्यारे लाल कोरी उम्र लगभग 51वर्ष निवासी ग्राम पिछवाड़ा थाना हसनगंज जिला उन्नाव

–अपीलार्थी/अभियुक्त–

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी.जी.सी. दाण्डिक उन्नाव

–प्रत्यर्थी–

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक अपील, मुकदमा नं0 21442/2025, अ0सं0 31/2002 राज्य बनाम सुखवीर धारा 457,380,411 भा0दं0सं0 थाना अजगैन जिला उन्नाव में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 09.02.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 457,380 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त कर दिया तथा धारा 411 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध साक्ष्य के आधार पर धारा 411 भा0दं0सं0 का अपराध नहीं बनता है। विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की साक्ष्य को सही मान कर भूल की है। कानून के तहत साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथ्यों को देखते हुए सजा उचित नहीं है, क्योंकि पत्रावली पर साक्ष्य व अभियोजन पक्ष द्वारा कमियों तथा अनियमितताएं जो अभियोजन पक्ष ने एक पक्षीय कहानी गढ़ी है, उस पर विचारण न्यायालय ने सूक्ष्मता पूर्ण देखकर निष्कर्ष नहीं निकाले है। अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय ने सजा के प्रश्न पर नहीं सुना और न ही अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया, जो न्यायोचित नहीं है। अपीलकर्ता गरीब है और घर में कमाने वाला नहीं है और 24 वर्ष से मुकदमें में फर्जी परेशान हुआ और घर का अकेला आदमी है। अतः अपील को स्वीकार करते हुए निर्णय व दण्डादेश दिनांक 09.02.2026 निरस्त किया जाये।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय का सम्यक अवलोकन किया।

4. अपील से सम्बन्धित केस के तथ्य है कि वादी मुकदमा दिनेश कुमार अपनी मॉ व अपने भाई राजेश कुमार के साथ आज बीती रात अपने घर में सोया था। उसके घर में दो टीन के बक्से व छोटी बड़ी तीन अटैची जिसमें दो मारूति कम्पनी की व एक सोनी कम्पनी की थी। मारूति की छोटी अटैली सिलेटी कलर की व बड़ी अटैची ग्रे कलर की व सोनी कम्पनी की अटैची मटमैले कलर की थी। जिसमें उसका नाम अंकित है। अटैचियां व बक्से सभी लाक थे। लोहे के दो बड़े बक्से में एक झुमकी, एक

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.04 14:23:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जंजीर, व नाक की बेसर, एक कील, एक चैन सभी सोने की, चांदी की पायल, तोड़िया, दो बाला सोने का तथा तेरह सौ रूपया नगद व अटैचियों में एक पैन्ट नीला कलर, एक कमीज चौखाने की, एक ब्लाउज आसमानी रंग का, एक रूमाल नया, एक जयमाला जिसमें पांच–2 दस नोट व 2–2 के पच्चीस नोट अलग कुल 101/– रूपये, एक साड़ी नई तथा अन्य सामान रात को करीब 2 बजे दीवार पर चढ़कर छत से सीड़ी से उसके घर में उतर कर आंगन में अज्ञात चोर खुले कमरे से उपरोक्त अटैचियां व सन्दूको को सामान सहित उठाकर माकन का दरवाजा खोलकर उठा ले गये। रात्रि में मॉ की लगभग 2.30 बजे नींद खुली तो दरवाजा खुला मिलने पर दरवाजा को देखा तो कमरे में और सामान अस्त व्यस्त मिले। इस पर उसकी मॉ ने उसे जगाया । उसने भी जागने पर देखा तो उपरोक्त अटैचियां व सन्दूकें गायब थी। उसने अपने गॉव वालों रजोल, महेन्द्र, रामप्यारे, बबुआ, सुनील कुमार, मिथलेश कुमार, परभू, विजय, राकेश को सारी घटना से अवगत कराया। सब लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। गॉव के पूरब गेहूँ के खेतों में रात में कुछ आदमियों की आहट रात में सुनाई पड़ी, जिस पर वह तथा उपरोक्त लोगों ने घेरा बंद कर गेहूँ के खेत में पहुँचा तो रात में देखा कि चार आदमी ब्रीफ केस व सन्दूकों को तोड़ रहे है। आहट सुनकर उन सभी लोगों ने अटैचिया व सन्दूकों को तोड़ते समय करीब 4 बजे सुबह गॉव के रामनाथ व रामप्रसाद व एक व्यक्ति को और पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम सुखवीर पुत्र प्यारे कोरी तथा रामप्रसाद का रिश्तेदार मुकेश मौके से भाग गया। गॉव का रिश्तेदार होने के कारण वे लोग मुकेश को पहचानते है। पकड़े गये उपरोक्त व्यक्तियों के कब्जे से दो टूट बक्से व तीन टूटी अटैचियां तथा उक्त चोरी गये कपड़े बरामद हुए।

5. उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाना अजगैन पर दिनांक 03.02.2002 को समय 12.15 पीएम पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त सुखवीर के विरूद्ध अंतर्गत धारा 457,380,411 भा0दं0सं0 में पंजीकृत की गयी तथा इसके सम्बन्ध में जी0डी0 कायमी रपट तैयार की गयी।

6. विवेचना के उपरांत अभियुक्त सुखवीर के विरूद्ध विचारण न्यायालय में आरोप पत्र धारा 457,380,411 भा0दं0सं0 में प्रेषित किया गया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सुखवीर के विरूद्ध धारा 457,380,411 भा0दं0सं0 के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की मॉग की।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण न्यायालय में पी0डब्लू0–1 दिनेश कुमार अवस्थी पी0डब्लू0–2 रामप्यारे, पी0डब्लू0–3 रजोल, पी0डब्लू0–4 उपनिरीक्षक नरेशचन्द्र एवं पी0डब्लू0–5 कां0 आशाराम चौधरी को परीक्षित कराया है।

9. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त सुखवीर के बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किये, जिसमें उसने घटना को झूठा व रंजिशन बताया गया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य देने से इनकार किया।

10. विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन के उपरांत निर्णय व आदेश पारित कर अपीलार्थी/अभियुक्त सुखवीर को धारा 457,380 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषमुक्त कर दिया तथा धारा 411 भा0दं0सं0 के अपराध में 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 3,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने हेतु आदेशित किया।

11. अपीलार्थी की ओर से दौरान बहस प्रार्थनापत्र 9ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अपीलार्थी गरीब व मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा भूमिहीन है। घर का अकेला व्यक्ति है। उसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति कमाने वाला नहीं है। अतः प्रार्थना की गयी कि जुर्माना धनराशि 3000/– माफ करके परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी। दौरान बहस अपीलार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता

ने यह भी कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई के समय प्रार्थना की गयी थी कि वह अत्यंत करीब है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वह लगभग 24 वर्ष से विचारण का भी सामना कर रहा है। अतः उसे परिवीक्षा अधिनियम पर रिहा किया जाये या कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने इस पर कोई विचार नहीं किया और न ही इसका कोई कारण अंकित किया कि उसे परिवीक्षा का लाभ क्यों नहीं दिया गया।

12. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ था, वादी मुकदमा ने गेहूँ के खेत में अभियुक्त को चोरी किये गये सामान सहित पकड़ा था और अभियुक्त सुखवीर को पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। न्यायालय में बरामद की गयी वस्तुओं को पी0डब्लू0–1 के साक्ष्य के समय प्रस्तुत किये गये थे, जिनको साक्षी ने अपने चोरी गये सामान की पहचान किया था और उन पर वस्तु प्रदर्श–1 लगायत वस्तु प्रदर्श–32 डाला गया था। इसके अतिरिक्त साक्षी पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–3 ने भी अभियुक्त के पास से चोरी गये सामान की बरामदगी को साबित किया है। इस प्रकार पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा तथा पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–3 ने अभियुक्त के पास से चोरी गये सामान की बरामदगी को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अभियोजन पक्ष धारा 457,380 भा0दं0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से साबित करने में असफल रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में पी0डब्लू0–1 लगायत पी0डब्लू0–3 के साक्ष्य का विधि अनुसार विश्लेषण करके उसके साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है। विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधिक व्यवस्था के अनुरूप विधि सम्मत होने के कारण अपीलीय न्यायालय को निर्णय व आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः धारा 411 भा0दं0सं0 में दी गयी दोषसिद्धि पुष्ट किये जाने योग्य है। प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने की याचना किया है। यह भी कथन किया है कि उन्होंने विचारण न्यायालय में दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई के समय परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ दिये जाने की प्रार्थना किया था, किन्तु विचारण न्यायालय ने बिना कोई निष्कर्ष दिये परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2002 का है। इतने लम्बे समय से अपीलार्थी न्यायालय के चक्कर काट रहा है। ऐसी दशा में इतनी लम्बी अवधि के पश्चात अब अपीलार्थी को कारावास के दण्ड से दण्डित करना न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी का यह प्रथम अपराध है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में निष्कर्ष दिये बिना अपीलार्थी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3/4 का लाभ नहीं दिया है। इन परिस्थितियों में यह न्यायोचित एवं विधिक है कि अपीलार्थी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3/4 का लाभ दिया जाये। यह दाण्डिक अपील तद्नुसार आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी सुखवीर को धारा 411 भा0दं0सं0 में विचारण न्यायालय द्वारा दी गयी दोषसिद्ध की पुष्टि की जाती है। उसको तत्काल दण्ड से दण्डित न करते हुए परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3/4 का लाभ देते हुए 6 माह की परिवीक्षा अवधि पर इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह दौरान परिवीक्षा अवधि में किसी प्रकार के अपराध में भाग नहीं लेगा और अपना आचरण शांतिपूर्ण बनाये रखेगा, कोई समाज विरोधी क्रियाकलाप में भाग नहीं लेगा और अंततः समय–समय पर अपने कार्य एवं आचरण की जानकारी परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से इस न्यायालय को अवगत कराता रहेगा। यदि

उपरोक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा परिवीक्षा अधिनियम की शर्तो का उल्लंघन किया गया तो उसे पुनः दण्ड पर सुनवाई हेतु आहूत किया जायेगा।

अपीलार्थी/अभियुक्त 20,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू इस निर्णय के पारित होने के एक सप्ताह के अन्दर जिला परिवीक्षा अधिकारी, उन्नाव में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की एक प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव के न्यायालय में एवं एक प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी, उन्नाव को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये।

दिनांक–04.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
उन्नाव
जेओ कोड यूपी 6552

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया जाकर सुनाया गया।

दिनांक–04.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
उन्नाव
जेओ कोड यूपी 6552